राजस्थान आवासन मण्डल

(A State Govt.enterprise constituted under RHB Act 1970)

वृत उदयपुर

"Salumber Chauhara, Sector 11, Udaipur - 313002

E Mail- dhcudpr.rhb@rajathan.gov.in

क्रमांक :- राआम/उआआ/उ.द.वृ./2021-2022/ 1107 दिनांक :- 28-01-2022

जन सम्पर्क अधिकारी,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

विषयः- वरीयता निर्धारण लॉटरी की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वृत उदयपुर के अधीन खण्ड भीलवाडा की पटेल नगर विस्तार आवासीय योजना की **''मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना-2021''** के आवासो हेतु वरीयता निर्धारण लॉटरी की सूचना इस पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः वरीयता निर्धारण लॉटरी के कार्यक्रम को नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करावे।

भवदीय

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
उदयपुर वृत

कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल वृत उदयपुर, उदयपुर
(RHB Office Building पारस तिराहा सेक्टर–11, उदयपुर–313001)

क्रमांकः– 1107 दिनांक :– 28.01.2022

–: आवश्यक सूचना :–

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत उदयपुर के अधीन भीलवाडा खण्ड में स्थित पटेल नगर विस्तार आवासीय योजना में **"मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना–2021"** हेतु दिनांक 12.10.2021 से 31.12.2021 तक प्राप्त उच्च आय वर्ग के 48, मध्यम आय वर्ग (ब) के 30 एवं मध्यम आय वर्ग (अ) के 08 आवासो हेतु प्राप्त पंजीकरण आवेदन पत्रों की वरियता निर्धारण लॉटरी कम्प्युटर रेण्डम प्रणाली से आयोजित की जायेगी।

वरियता लॉटरी निर्धारण कार्यक्रम का विवरण निम्न तालिकानुसार हैः–

क्र. सं.	कार्यवाही विवरण	दिनांक / समय
1	योग्य / अयोग्य आवेदको की पूर्णतया अस्थायी सूची का प्रदर्शन **(कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाईट)**	**07.02.2022** सायं 5.00 बजे
2	अस्थायी सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**08-02-2022** सायं 3.00 बजे तक
3	आक्षेप प्राप्ति के बाद योग्य आवेदको की अंतिम स्थायी सूची का प्रदर्शन **(कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाईट)**	**09-02-2022** सायं 4.00 बजे
4	लॉटरी की कार्यवाही (जिला आवंटन समिति की बैठक)	**11-02-2022** दोपहर 02.00 बजे

लॉटरी का स्थान :– कार्यालय आवासीय अभियंता, सी – 289– 290, आर. के. कॉलोनी, भीलवाडा में ऑनलाईन कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा की जायेगी।

नोटः–

1. उक्त पंजीकरण योजना में प्राप्त आवेदनो में से प्रस्तावित आवासो के अनुपात में सफल आवेदको का चयन करने हेतु वरीयता का निर्धारण कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली से लॉटरी द्वारा मण्डल नियमानुसार की जावेगी।
2. यदि कोई आवेदक वांछितानुसार सूचना कार्यालय में नही देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
4. अस्थाई सूची व स्थायी सूची एवं वरियता लॉटरी की सूची राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपलब्ध रहेगी।
5. लॉटरी में अध्यक्ष, जिला आवंटन समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।

उप आवासन आयुक्त